न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

R-4104-PBR/16

प्र. क. /पी.बी.आर./2016

एस.आर.जी. कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर
सुनील कुमार गुप्ता, आत्मज श्री जी.सी. शाह,
आयु वयस्क, निवासी– कार्पोरेट ऑफिस, जेड 10,
जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल, म.प्र.

आवेदक

विरूद्ध,

मध्यप्रदश शासन
द्वारा–कलेक्टर जिला भोपाल, म.प्र.

अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण मान. अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल द्वारा प्र.क. 536/बी–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30.09.16 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों व ठोस आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4104-पीबीआर/16 **जिला** भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-7-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल के आदेश दिनांक 30-9-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व आदेश दिनांक 22-3-12 में पुन: संशोधन का अधिकार नहीं होने से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया है । 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अनुसार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पत्र पर स्वत: उसके द्वारा या उसके पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अत: अनुविभागीय अधिकारी का आदेश संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाये । 4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के सम्बन्ध में अभिलेख का अवलोकन किया गया । मूल आदेश नगर निवेश की अनुमति बावत् 2012 का है, जिसे वर्ष 2016 में इतने विलम्ब से बिना किसी पर्याप्त आधार के संशोधन चाहा गया है, अत: अनुविभागीय अधिकारी को अपने ही आदेश में संशोधन का अधिकार नहीं है । वैसे भी भूमि उपयोग सम्पूर्ण भूमि का ही परिवर्तित माना जायेगा, मात्र निर्मित क्षेत्र का नहीं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	